ऑन लाईन नं. GCMS 2025/127

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 39/2025

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री शंकरलाल पुत्र श्री बिगताराम(विक्रेता), मै. दुर्गा मिष्ठान भंडार, मैन बस स्टेण्ड, बनवाली, श्रीगंगानगर
2. श्री प्रकाश चन्द्र पुत्र श्री बिगताराम शर्मा(मालिक), मै. दुर्गा मिष्ठान भंडार, मैन बस स्टेण्ड, बनवाली, श्रीगंगानगर, निवासी 02 कुए के पास, वार्ड न.1, राजेरा, शेरेरा, बीकानेर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/54

निर्णय **दिनांक: 25.07.2025**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक– प.5 (01) चिस्वा/ग्रुप 3/ई–5095/2024/दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का नमूना दिवस को पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुकत (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता०/खासुऔनि/संस्था/2023/10077 दिनांक 26.12.2023 के अनुसार जिला श्री गंगानगर व वर्तमान में पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था. /2024/1211 दिनांक 08.07.2024 किया गया है एवं संशोधित आदेश क्रमाक आयुक्ता०/खासुऔनि /संस्था/2024/1225 दिनांक 09.07.2024 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.04.2025 को समय 11.50एम बजे **मै. दुर्गा मिष्ठान भंडार, मैन बस स्टेण्ड, बनवाली, श्रीगंगानगर** पर पहुँचे। मौके पर **श्री शंकरलाल पुत्र श्री बिगताराम (विक्रेता)** को अपना परिचय दे कर संस्थान पर दो केन में रखे खाद्य पदार्थ **रसभरी मिठाई** जो लगभग 03 किलोग्राम, के बारे मे जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने स्वयं को विक्रेता बताया व संस्थान में रखे खाद्य पदार्थ **रसभरी मिठाई** को आमजन मे बेचान वास्ते बताया जिनमें मिलावट का शक होने पर विकेता से **रसभरी मिठाई** नमूना जाँच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5ए भरकर देते हुऐ वयक्त की मोके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहन ने व आवेदक ने हस्ताक्षर किये। फार्म न 5ए न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया और आम जनता को विक्रय हेतु **रसभरी मिठाई** में से 02 किलोग्राम विकेता से खरीद कर लिया। विकेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा **रसभरी मिठाई** का नगद भुगतान 400 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया। जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री शंकरलाल पुत्र श्री बिगता राम (विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं **श्री शंकरलाल पुत्र श्री बिगता राम (विक्रेता)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **रसभरी मिठाई** 02 किलोग्राम को एकरूप कर बराबर भागों में बांटकर 4 साफ–सूथरे डिब्बों में लेकर प्रत्येक डिब्बे में परिक्षक फार्मेलिन की 40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किया और चारों डिब्बों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–2756** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–2756** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विकेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री शंकरलाल पुत्र श्री बिगताराम (विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S.-/386/Act/2025/386 Dated 22.04.2025 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2612 Sub-Standard Food** होना पाया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु सूचित किया, खाद्योकारोबारकर्ता ने पुनः जांच करने का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा आवदेक खाद्य सुरक्षा

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अधिकारी को शंसित करने पर प्रकरण में अभियुक्तगण **श्री शंकरलाल पुत्र श्री बिगताराम(विक्रेता), मै. दुर्गा मिष्ठान भंडार, मैन बस स्टेण्ड, बनवाली, श्रीगंगानगर और श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री बिगताराम शर्मा(मालिक), मै. दुर्गा मिष्ठान भंडार, मैन बस स्टेण्ड, बनवाली, श्रीगंगानगर निवासी 02 कुए के पास, वार्ड न.1, राजेरा, शेरेरा, बीकानेर** द्वारा अमानक स्तर का **रसभरी मिठाई** विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/54 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 01.07.2025 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी गांव बनवाली, श्रीगंगानगर का रहने वाला है तथा प्रार्थी की फर्म मै. दुर्गा मिष्ठान भंडार दुकान मेन बस स्टेंड बनवाली, सादुलशहर, श्रीगंगानगर का मालिक है। प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र कमांक 1270/25 दिनांक का दिया है कि आपकी दुकान में रसभरी मिठाई की जांच की गई तो रसभरी Food containing extraneous matter Under Section 3.1 [i] of the Food Safety & Standards Act ,2006 as added starch पाया गया है। प्रार्थी न उक्त रसभरी में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **रसभरी मिठाई** का सैम्पल **K-2756** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-: L.S.-/386/Act/2025/286 Dated 22.04.2025 अनुसार Food containing extraneous matter Under Section 3.1 [i] of the Food Safety & Standards Act ,2006 due to presence of added starch होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 54 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को ही दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर ... श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Rasbhari Mithai (Chhena Mithai)" bearing Code No and Sr. No. **K-2756**, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Food containing extraneous matter Under Section 3.1 [i] of the Food Safety & Standards Act ,2006 due to presence of added starch. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्तगण **श्री शंकरलाल पुत्र श्री बिगताराम(विक्रेता), मै. दुर्गा मिष्ठान भंडार, मैन बस स्टेण्ड, बनवाली, श्रीगंगानगर और श्री प्रकाश चन्द्र पुत्र श्री बिगताराम शर्मा(मालिक), मै. दुर्गा मिष्ठान भंडार, मैन बस स्टेण्ड, बनवाली, श्रीगंगानगर निवासी 02 कुए के पास, वार्ड न.1, राजेरा, शेरेरा, बीकानेर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 54 के अन्तर्गत अभियुक्तगण **श्री शंकरलाल पुत्र श्री बिगताराम(विक्रेता), मै. दुर्गा मिष्ठान भंडार, मैन बस स्टेण्ड, बनवाली, श्रीगंगानगर और श्री प्रकाश चन्द्र पुत्र श्री बिगताराम शर्मा(मालिक), मै. दुर्गा मिष्ठान भंडार, मैन बस स्टेण्ड, बनवाली, श्रीगंगानगर निवासी 02 कुए के पास, वार्ड न.1, राजेरा, शेरेरा, बीकानेर** को राशि रूपये **10,000—00 (अख्खरे रूपये दस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner